

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
क्रमांक:प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/3789

दिनांक: 01/04/16

अधिसूचना

राज्य सरकार करदाताओं को समय से नगरीय विकास कर जमा कराये जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 का नगरीय विकास कर दिनांक 30.06.16 तक जमा कराने वाले करदाताओं को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत नगरीय विकास कर में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

दिनांक: 01/04/16

क्रमांक:प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/3790-4242

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संचालक आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसूचना अधिकारी, नगर निगम/परिषद/
पालिकायें समस्त राजस्थान।
06. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंशेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
09. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक
राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी